

## प्रेस नोट

दिनांक- 21.09.2022

जनपद सुलतानपुर

पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर, श्री सोमेन बर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत, अपर पुलिस अधीक्षक व समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध की गई कार्यवाही।

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा दिनांक 20.9.2022 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 452/22 धारा 302/201 भा0द0वि0 व 3(2)V एस सी0 / एस0टी0 एक्ट से संबंधित घटना का सफल अनावरण करते हुए 08 घण्टे के अन्दर वांछित अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 सत्यनरायन गुप्ता निवासी ग्राम रुदौली थाना को.देहात जनपद सुलतानपुर 2-सूरज मौर्य पुत्र सुनील मौर्य निवासी भरखरे थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर जिनके द्वारा मृतक वीरेन्द्र को दोस्ती के विश्वास में लेकर मृतक के ई-रिक्शा पर नियत खराब होने पर रस्सी से गला घोटकर ट्यूबवेल के अन्दर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ट्यूबवेल के बाहर छिपा देना । अभियुक्तगण उपरोक्त को ग्राम जानीपुर कन्हईपुर बाजार के निकट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को उत्साह वर्धन हेतु 20000/- रुपये नगद इनाम के लिए आदेशित किया गया।

**बरामदगी -**

घटनास्थल से - 1-मृतक का ई-रिक्शा UP44AT9472 मय 04 अदद बैटरा ।

2- आलाकत्ल प्लास्टिक की रस्सी व टी-शर्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

प्र0नि0श्री शिवाकान्त त्रिपाठी

उ0नि0 श्री राजीव मिश्रा

उ0नि0 श्री यादवेन्द्र सोनकर

कां0 रमेश साहू

कां0 धर्मन्द्र कुमार

कां0 विपिन कुमार